11/
2n/22

पत्रावली पेश हुई। वकील मतीकेन उप०
T.DR मीना से रिपोर्ट प्रस्तुत। वकील
प्रार्थी की इस तुआ पर इनके बदल वकील
मतीकेन सुनी। प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार
किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस से अस्थायी
निषेधाज्ञा जारी किया गया। आदेश पृथक
से लिखाया जाकर शा० मा० किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर शा० फल
बाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़